कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन भोपाल–462004

क्रमांक– 1861 /346/आउशि/अनु.बजट/18 भोपाल, दिनांक 19/09/2018
प्रति,

समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक,
उच्च शिक्षा
म.प्र.

विषय– राज्य एवं भारत सरकार से प्राप्त निधियों को बैंक खातों में जमा रखने के संबंध में।
संदर्भ:– महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखा परीक्षा) म.प्र. ग्वालियर का पत्र क्र. रिपोर्ट(रा.बि.)/अध्याय–3/2017–18/डी–1294 दिनांक 17.7.18

——00——

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र में केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों के कियान्वयन हेतु जारी अनुदान/निधियों के व्यय हेतु आपके अधीन संबंधित विभाग (समस्त शासकीय महाविद्यालय म.प्र.) के डी.डी.ओ. द्वारा निधियों को शासकीय खातों/कोषालयों से आहरित कर बैंक खातों में जमा रखकर खातों से निधियों का व्यय किया जा रहा है। इस प्रकार विभाग में बैंक खातों से किये जा रहे लेन–देन की (दिनांक 31 मार्च 2018) की स्थिति में डी.डी.ओ. वाइज संकलित जानकारी संलग्न प्रपत्र के अनुसार उपलब्ध कराना सुनिश्चि करें। ताकि जानकारी निर्धारित समय–सीमा में महालेखाकार को उपलब्ध कराई जा सके। साथ ही ऐसे प्रकरण जिनमें वित्त विभाग द्वारा इस प्रकार बैंक खातों में राशि जमाकर लेन–देन का अधिकृत किया गया हो के समर्थन में समुचित प्रलेख/तथ्य पत्र के साथ उपलब्ध कराये।

निर्धारित प्रपत्र की छायाप्रति संलग्न प्रेषित कर लेख है कि जानकारी दिनांक 30.9.18 तक की समयावधि में उपलब्ध कराना सुनिश्चि करें। यदि किसी भी प्रकार की विलंब की स्थिति निर्मित होती है तो उसके लिये आपकी जवाबदारी निर्धारित की जावेगी।

संलग्न–प्रपत्र

[signature] 14/9/18
अपर संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

क्रमांक– 1862 / /आउशि/अनु.बजट/18 भोपाल, दिनांक 19/09/2018
प्रति,

1. अवर सचिव, म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल से प्राप्त पत्र क्र. 1292/1750/2018/38–2 दिनांक 1.9.18 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

[signature] 14/9/18